आदेश

वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा डिकी इस आशय की दी जाती है कि ग्राम हुकमपुरा की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 245, 246, 247, 248, 249, 251 किता 6 कुल रकबा 3.72 है0 में से अनारकंवर पत्नि स्व. विसालसिंह भवानीसिंह दिलवरसिंह आदित्यसिंह पि0 विसालसिंह मंजुकंवर संजुकंवर पुत्रियां विशालसिंह के हिस्सा 1/3 में से 1/12 हिस्से का खातेदार वादीगण को, 1/12 हिस्से का रड़मलसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को तथा 1/12 हिस्से का नारायणसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 को व 1/12 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 विसालसिंह के वारिसान अनारकंवर पत्नि स्व. विसालसिंह भवानीसिंह दिलवरसिंह आदित्यसिंह पि0 विसालसिंह मंजुकंवर संजुकंवर पुत्रियां विशालसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी प्रतिवादी संख्या-01 स्व0 विशालसिंह के वारिसान को छोड़कर शेष वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के हिस्से में आने वाली भूमि का नियमानुसार मुद्रांक शुल्क जमा कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसके अलावा उक्त खाते की भूमि के समस्त इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

26/10

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 26/10/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner